राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— मनोज, आर.ए.एस।

मुकदमा संख्या – 100/24 प्रा०पत्र

1 - श्रीमती नारायणी D/o श्री रामलाल गाडरी निवासी- सुरास तहसील- माण्डल (वगैरा)

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोपाल लाल s/o श्री मोहनलाल शर्मा निवासी- सुरास तहसील- माण्डल [वगैरा]
[सूचीअंकित प्रा०पत्र संलग्न]

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 21-05-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी 464,468,468/1,469, 470/1,472,475,476,480 कुल किता 09 रकबा 1.9475 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के खातेदारों के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-05-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरास पटवार सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 464,468, 468/1, 469, 470/1, 472, 475, 476, 480 कुल किता 09 रकबा 1.9475 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किया जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मेजा को 800 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा ... की मौजुदगी में मौके व कब्जे ... के आधार ... पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्ह को आधार मान पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:45:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल